दैनिक चैतन्य लोक धार
सरदारपुर, गंधवानी, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, बदनावर, धामनोद, मांड
डही, खलघाट, राजगढ़, अमझेरा, बाग, टाण्डा, दुधी, खलघाट, सिंघाना, दसई, कानवन, सादल

नन्हीं 'उम्मीदों' को मिला आयोग का 'संबल' सुनवाई के पश्चात दिलवाए अधिकार

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खंडपीठ का धार में आयोजन
दो दिन में बैंच ने 331 प्रकरणों का किया निराकरण

चैतन्य लोक • धार
chaitanyalok.com

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनके हितों की निगरानी करने वाले संवैधिक पीठ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दो दिवसीय खंडपीठ धार जिले में आयोजित की गई। इस खंडपीठ में आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगों और सदस्यों ने 8 और 9 सितंबर को बच्चों के अधिकारों से जुड़े करीब 331 प्रकरणों की सुनवाई की है। शुक्रवार को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित खंडपीठ में 207 प्रकरणों का निराकरण बच्चों और पालकों की उपस्थिति में समक्ष कराया गया। अनेकों मामलों में अपने अधिकारों से वंचित बच्चों को खंडपीठ ने सुनवाई के बाद उनके हक दिलवाए। किसी को योजनाओं के माध्यम से जोड़ा तो किसी को साधन मुहैया कराए। इधर इसके एक दिन पूर्व कोविड काल में अपने माता और पिता को खोने वाले 124 बच्चों को आयोग अध्यक्ष श्री कानूनगों ने सुना। वहीं अधिकारियों को अन्य योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। दो दिवसीय दौरे में श्री कानूनगों ने पिडियाट्रीक वार्ड, एसएनसीयू वार्ड सहित आंगनवाड़ी केन्द्र और शासकीय विद्यालय नालछा का भी दौरा किया और बच्चों को मुहैया कराई जा रही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन को देखा।

आयोग के संबल से चेहरों पर मुस्कान

शुक्रवार को ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में बच्चे अपने गार्जियंस के साथ पहुंचे थे। इस दौरान कई तरह की समस्याओं से जुझते बच्चों को आयोग से संबल मिला और पालकों और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी। धार शहर से एक महिला अपनी नन्हीं बेटी को लेकर पहुंची थी। बेटी निजी मार्डन एकेडमी में पढ़ती है। पिता का 2021 में निधन हो गया है। घर में कमाने वाले के गुजरने के बाद फीस भरने की दिक्कतें है। खंडपीठ ने बच्चे की इस समस्या की सुनवाई करने के साथ स्कूल से फीस में रियायत करवाने सहित अधिकारियों को स्पांसरशिप योजना के माध्यम से आर्थिक संबल देने के लिए भी निर्देशित किया। धार शहर से ही कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली 1 दिव्यांग बालिका को लेकर पालक पहुंचे थे। बच्ची को आयोग ने सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग के माध्यम से तुरंत व्हीलचेयर दिलवाई एवं उसे दिव्यांगों को मिलने वाली सविधा का लाभ जल्द देने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस तरह अलग-अलग कई प्रकरणों में आयोग ने समक्ष सुनवाई के माध्यम से निराकरण करवाया।

मनावर से एक दर्जन बच्चे पहुंचे

खंडपीठ के समक्ष शनिवार को बड़ी संख्या में अपने अधिकारों को लेकर बिभागों की और मुंह ताक रहे बच्चे अपने पालकों और रिश्तेदारों के साथ पहुंचे थे। मनावर क्षेत्र के कवाड़ से करीब 1 दर्जन बच्चे अपने रिश्तेदारों के साथ अलग-अलग समस्याओं को लेकर आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ता खंडपीठ में उन्हें लेकर पहुंचे थे। इनमें कई लोग ऐसे थे जो सीधे योजना के दायरे में नहीं आ रहे थे। आयोग ने बच्चों के हितों का ध्यान रखते हुए उनके पालको को उनसे संबंधित योजनाओं के माध्यम से जोड़कर परिवार को संबल प्रदान करने के निर्देश दिए। कवाड़ से एक बुजुर्ग दादा अपने साथ 3 साल के पौते को लेकर पहुंचे थे। बच्चे के पिता का निधन हो गया था। मां किसी और के साथ चली गई। बच्चा सीधे किसी योजना के दायरे में नहीं आ रहा था। आयोग ने दादा की पेंशन चालू करवाई और बच्चे को स्पांसरशिप के माध्यम से लाभ देने के लिए निर्देशित किया। खंडपीठ के समक्ष उपस्थित प्रत्येक बच्चे और उनके अभिभावक से समस्याएं समझी गई और उनका निराकरण किया गया।

विभिन्न महकमें के अधिकारी रहे मौजूद

ऑडिटोरियम के बाहर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदर्शनी आधारित स्टॉल लगाए गए थे। इधर राष्ट्रीय पोषण वाहन को आयोग अध्यक्ष श्री कानूनगों एवं राज्य आयोग अध्यक्ष द्रविड मोरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खंडपीठ की सुनवाई के दौरान प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग, विशेश किशोर पुलिस इकाई सहित अन्य विभाग मौजूद थे। वहीं एनसीपीसीआर टीम, सदस्य बाल कल्याण समिति, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड मौजूद थे।

पारंपरिक नृत्य से किया स्वागत

ऑडिटोरियम में प्रवेश के दौरान श्री कानूनगों का स्वागत पारंपरिक भगोरिया नृत्य के माध्यम से समूह के द्वारा किया गया। खंडपीठ के दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य पंकज जैन, संदीप कुमार कानूनगो, प्रेमविजय पाटिल एवं श्रीमती मिताली प्रधान, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्रीमती एकता शर्मा एवं राकेश दुर्गेश्वर ने प्रकरणों में सुनवाई में सहयोग किया गया।

कई को नहीं मिल पाई थी राशि

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच में 207 प्रकरणों की सुनवाई

12 पॉक्सो प्रकरणों में सुनवाई के बाद मुआवजा राशि जारी

आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में लगी बैंच

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

धार. आदिवासी बाहुल्य धार जिले में छेड़छाड़ और बलात्कार के कारण आए दिन देखने को मिलते हैं। आंकड़ों में इनकी संख्या अधिक रहती हैं। इनमें पॉक्सो एक्ट के भी प्रकरण कम नहीं हैं। लेकिन पॉक्सो एक्ट में पीड़ित को मिलने वाले मुआवजे में लापरवाही देखने को मिली है। बाल संरक्षण आयोग की बैंच के सामने शुक्रवार को 12 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण पेश हुए, जिनमें पीड़ितों को मुआवजा राशि नहीं मिल पाई थी। बैंच ने सुनवाई के बाद संबंधित विभाग से मुआवजा प्रकरण स्वीकृत करवाया।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगों की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैंच की कार्रवाई पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में हुई। इस दौरान बैंच के समक्ष विभिन्न श्रेणियों में कुल 207 प्रकरण प्रस्तुत कर निराकरण संबंधित विभाग के अधिकारियों ने करवाएं। साथ ही दो दिव्यांग बालकों को व्हीलचेयर व 5 बच्चों को सामाजिक विभाग ने पेंशन जारी की। इस प्रकार आवेदकों की शिकायतों का निराकरण बैंच ने तत्काल करवाया।

प्रदर्शनी का निरीक्षण करते आयोग के अध्यक्ष कानूनगो व अन्य अधिकारी।

रथ को दिखाई हरी झंडी

प्रारंभ में अध्यक्ष कानूनगो का स्वागत भगोरिया नृत्य के माध्यम से किया गया। इसके बाद पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टॉल व प्रदर्शनी का उद्घघाटन कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अध्यक्ष कानूनगो ने मीडिया से बैंच आयोजन के संबंध में चर्चा की। इस दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य पंकज जैन, संदीप कुमार कानूनगो, मिताली प्रधान, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य एकता शर्मा व राकेश दुर्गेश्वर ने प्रकरणों में सुनवाई में सहयोग किया।

विभाग के कार्य में सुधार : बैंच के बीच प्रेसवार्ता के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने कहा कि बच्चों को लेकर प्रशासन में संवेदनशीलता कम है। बीते चार-पांच माह में महिला एवं बाल विकास विभाग धार ने अपना कार्य सुधार लिया है।

124 कोविड केयर प्रकरणों की सुनवाई

पहले दिन 124 कोविड केयर के प्रकरणों को एनसीपीसीआर की टीम के माध्यम से सुनवाई की गई। बच्चों को विभिन्न विभागीय योजनाओं से जोड़े जाने की अनुशंसा की। टीम ने जिला अस्पताल के पीआइसीयू और आंगनवाड़ी केंद्र समेत माध्यमिक विद्यालय नालछा का भ्रमण कर स्थिति देखी। इस मौके पर एनसीपीसीआर टीम, सदस्य बाल कल्याण समिति, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड के साथ अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

सुनवाई • राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने बैंच लगाकर सुनी समस्या

मासूम से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को जुर्माना लगाकर कर दिया था बरी, अब सरकार करेगी अंपील

बैंच में 207 प्रकरणों का किया निराकरण

भास्कर संवाददाता | धार

चार साल की जिस उम्र में मासूम बच्ची को सही-गलत का अंदाजा तक नहीं था, उस उम्र में 17 साल के नाबालिग दरिंदे ने दुष्कर्म का प्रयास किया। मामला पुलिस से लगाकर किशोर न्याय बोर्ड तक पहुंचा। जहां कानूनी नियमों के आधार पर नाबालिग आरोपी पर जुर्माना लगाकर बरी कर दिया गया। इस बीच किसी ने शिकायत तक नहीं की। जब मामला शुक्रवार को पीजी कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैंच में अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के सामने आया तो उन्होंने इस केस की फाइल बुलवाई। फाइल देख पीड़ित मासूम के परिजन को गांव से बुलवाया। परिवार की बात सुनने के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण को मामला कोर्ट में ले जाकर अपील करने के निर्देश दिए कि पीड़ित पक्ष को मुआवजा और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए।

धार | राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैंच लगाकर माता-पिता को खोने वाले बच्चों से की चर्चा।

कागजी कार्रवाई कर दी, अब तो दिलवा दो विधवा पेंशन

कोरोना काल में पति को खोने वाली 32 वर्षीय भक्तांबर कॉलोनी निवासी महिला अपनी दो बच्चियों को लेकर अध्यक्ष के समक्ष पहुंची। अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि साहब...हमने यह भी साबित कर दिया कि पति की मौत कोरोना से ही हुई है, इसके बाद कागजी कार्रवाई करने के बाद मदद का आशवासन दिया था, लेकिन मुझे आज तक विधवा पेंशन नहीं मिल पा रही है। यदि कुछ मदद कर दोगे तो घर खर्च में राहत मिल पाएगी। बेटियां छोटी होने से मजदूरी या अन्य काम पर भी नहीं जा सकते। ऐसे ही अन्य प्रकरणों में अध्यक्ष ने हाथों-हाथ 50 से ज्यादा महिलाओं की विधवा पेंशन के लिए स्वीकृति दिलाई। साथ ही खाद्यान्न पर्ची के लिए राशन दुकान से लगाकर प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काटकर तंग आ चुकी महिलाओं को भी मौके पर खाद्यान्न पर्ची बनवाकर दी।

बच्चों को भटकना ना पड़े इसलिए बैंच कैंप आयोजित किया

कोरोना व अन्य बीमारियों से माता-पिता दोनों या किसी एक को खोने वाले बच्चों को सरकारी मदद के लिए कई जतन करना पड़ते हैं। जिले में ही कोरोना से माता-पिता को गंवाने वाले बच्चों में से जिला प्रशासन ने 46 को चिह्नित किया था। बाद में मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धार आकर जमीनी सर्वे कराया था। जहां महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग ने 5479 बच्चे ढूंढ निकाले थे और शासन की 34 प्रकार की योजनाओं में से किसी एक योजना में शामिल कर लाभ दिलाया था।

आए थे परिवारों के कंधे पर बैठकर, लौटे व्हीलचेयर से

अध्यक्ष ने कोविड केयर योजना से जुड़े 124 प्रकरणों में बच्चों की सुनवाई कर बैंच के समक्ष विभिन्न श्रेणियों के 207 प्रकरणों का निराकरण किया। इसमें आठ बच्चों के परिवारों ने आर्थिक सहायता की मांग की। जो संभव नहीं था, ऐसे में इन परिवारों को अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से जोड़कर प्रतिमाह राहत राशि दिलाने का आश्वासन देकर लौटाया। वहीं जिले के ही दो दिव्यांग बालक मदद के लिए परिवार के सदस्यों के कंधे पर बैठकर आए थे। तत्काल मदद मिलने से यह बच्चे व्हीलचेयर पर बैठकर गए। 5 बच्चों को सामाजिक विभाग से पेंशन भी जारी कराई गई।

digital EDITION

धामनोद समाचार

आईना सच का...

Title Code : MPBIL02479

शुक्रवार

धार, 9 सितम्बर 2022

dhamnodsamachar@gmail.com

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, कानूनगों की अध्यक्षता में बैंच हुई सम्पन्न

विभिन्न श्रैणियों में कुल २०७ प्रकरण का निराकरण करवा कर, दिव्यांग बालकों को व्हीलचेयर एवं ५ बच्चों को सामाजिक विभाग द्वारा जारी की गई पेंशन

• धामनोद समाचार
धार से रिपोर्टर
दिव्येश सिंघल

आज दिनांक 9 सितम्बर को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगों की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैंच की कार्यवाही शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार में सम्पन्न की गई। इस दौरान बैंच के समक्ष विभिन्न श्रैणियों में कुल 207 प्रकरण प्रस्तुत कर उनके निराकरण, संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा बैंच के समक्ष में ही करवाएं गये। साथ ही दो दिव्यांग बालकों को व्हीलचेयर एवं 5 बच्चों को सामाजिक विभाग द्वारा पेंशन जारी की गई। इस प्रकार आवेदकगणों की शिकायतों का निराकरण बैंच द्वारा तत्काल करवाया गया।

इस अवसर पर न्यूईं टीम, सदस्य बाल कल्याण समिति, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड के साथ जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई, एवं अन्य विभागो की उपस्थिति में प्रथम दिवस पर 124 कोविड केयर के प्रकरणों को न्यूईं टीम के माध्यम से समक्ष में सुना गया एवं बच्चों को विभिन्न विभागीय योजनाओं से जोडे जाने की अनुशंसा की गयी। टीम के द्वारा जिला अस्पताल के एन्एल वार्ड, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम नालछा का भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया। प्रारंभ में अध्यक्ष कानुनगों का स्वागत पारंपरिक भगोरिया नृत्य के माध्यम से समुह के द्वारा किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर, पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही स्टॉल एवं प्रदर्शनी का फिता कांटकर उद्घाटन कर, प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसके पश्चात अध्यक्ष कानूनगो ने मीडिया से बैंच आयोजन के संबंध में चर्चा की। बाल कल्याण समिति सदस्य पंकज जैन, संदीप कुमार कानूनगो, प्रेमविजय पाटिल, मिताली प्रधान एवं किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य एकता शर्मा एवं राकेश दुर्गेश्वर ने प्रकरणों में सुनवाई में सहयोग किया।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री कानूनगों की अध्यक्षता में बैंच सम्पन्न हुई

विभिन्न श्रैणियों में कुल 207 प्रकरण का निराकरण समक्ष के करवाए गए

संजय शर्मा संपादक
हैलो धार पत्रिका
9893475407

धार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगों की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैंच की कार्यवाही शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार में सम्पन्न की गई।

इस दौरान बैंच के समक्ष विभिन्न श्रैणियों में कुल 207 प्रकरण प्रस्तुत कर उनके निराकरण संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा बैंच के समक्ष में ही करवाएं गये। साथ ही दो दिव्यांग बालकों को व्हीलचेयर एवं 5 बच्चों को सामाजिक विभाग द्वारा पेंषन जारी की गई। इस प्रकार आवेदकगणों की शिकायतों का निराकरण बैंच द्वारा तत्काल करवाया गया।

इस अवसर पर NCPCR टीम, सदस्य बाल कल्याण समिति, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड के साथ जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खाद्य एवं आपुर्ति अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई, एवं अन्य विभागो की उपस्थिति में प्रथम दिवस पर 124 कोविड केयर के प्रकरणों को NCPCR टीम के माध्यम से समक्ष में सुना गया एवं बच्चों को विभिन्न विभागीय योजनाओं से जोडे जाने की अनुशंसा की गयी। टीम के द्वारा जिला अस्पताल के SNCU वार्ड, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम नालछा का भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया।

प्रारंभ में अध्यक्ष श्री कानुनगों का स्वागत पारंपरिक भगोरिया नृत्य के माध्यम से समुह के द्वारा किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही स्टॉल एवं प्रदर्शनी का फिता कांटकर उद्घाटन कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसके पश्चात अध्यक्ष श्री कानूंनगो ने मीडिया से बैंच आयोजन के संबंध में चर्चा की गई। बाल कल्याण समिति सदस्य पंकज जैन, संदीप कुमार कानूनगो, प्रेमविजय पाटिल एवं श्रीमती मिताली प्रधान एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्रीमती एकता शर्मा एवं राकेश दुर्गेश्वर ने प्रकरणों में सुनवाई में सहयोग किया गया।